



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

तृतीय एवं चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ,
नई दिल्ली-110001, फोन: 23353503, फैक्स: 23753923
वेबसाइट: www.cercind.gov.in



सर्वमेव जयते

याचिका सं. 126/टीएल/2023

दिनांक: 7.7.2023

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

केपीएस2 ट्रांसमिशन लिमिटेड, बी-9, कुतुब इस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण आधार पर (इसके बाद "परियोजना" के रूप में संदर्भित) "खावड़ा आरई पार्क में खावड़ा पूलिंग स्टेशन-2 (केपीएस2) की स्थापना" हेतु अंतर-राज्यिक पारिषण प्रणाली स्थापित करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 14 और 15 के अधीन आवेदन किया गया है:

क्रम सं.	पारिषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से अनुसूचित सीओडी
1.	<p>765/400 केवीए 4x1500एमवीए, केपीएस2 (जीआईएस) के साथ 2x330 एमवीएआर 765 केवी बस रिएक्टर और 2x125 एमवीएआर 400 केवी बस रिएक्टर की स्थापना 1500एमवीए, 765/400केवी आईसीटी. 4 नं. (13x500 एमवीए सहित एक स्पेयर यूनिट) 765 केवी आईसीटी बे - 4 नं. 400 केवी आईसीटी बे - 4 नं. 765 केवी लाइन बे - 2 नं. 400 केवी लाइन बे - 3 नं. (वर्तमान में 3 नं. बे पर विचार किया गया, एनटीपीसी, जीएसईसीएल और जीआईपीसीएल प्रत्येक के लिए एक) 1x330 एमवीएआर, 765 केवी बस रिएक्टर -2 (7x110 एमवीएआर, सहित एक स्पेयर यूनिट) 765 केवी रिएक्टर बे - 2 1x125 एमवीएआर 400 केवी बस रिएक्टर-2 400 केवी रिएक्टर बे - 2 765 केवी बस सेक्शनलाइजर बे - 2 400 केवी बस सेक्शनलाइजर बे - 2 5x1500 एमवीए 765/400 केवी आईसीटी के भावी विस्तार के लिए पर्याप्त स्पेस 765kV एवं 400kV पर बस सेक्शनलाइजर। प्रत्येक बस सेक्शन पर भावी विस्तार के लिए स्पेस सहित 2x1500एमवीए 765/400 केवी आईसीटी, 1x330 एमवीएआर, 765 केवी एवं 1x125 एमवीएआर 420 केवी बस रिएक्टर होगा। 765 केवी पर बस सेक्शनलाइजर स्तर सामान्यतौर पर बंद रहेगा और 400 केवी बस सेक्शनलाइजर स्तर पर सामान्य तौर पर खुला रहेगा। भावी उपबंध: 765/400 केवी आईसीटी के लिए बे सहित स्पेस: 5 नं. 765 केवी लाइन बे के साथ स्विचेबल लाइन रिएक्टर: 10 नं. 400 केवी लाइन बे के साथ स्विचेबल लाइन रिएक्टर: 12 नं. 8000 एमडब्ल्यू +800 केवी एमवीडीसी कन्वर्टर स्टेशन (एलसीसी) भावी में किसी आहरण की आवश्यकता: 400/220 केवी आईसीटी : 2 नं. 220 केवी लाइन बे: 4 नं.</p>	<p>प्रभावी तारीख से 21 माह</p>

नोट: उक्त योजना "खावड़ा पीएस1 पर 3 जीडब्ल्यू आरई पावर के आगे अंतःक्षेपण के लिए पारिषण योजना" के कार्यान्वयन टाइमफ्रेम सहित मैचिंग एवं एसपीवी अंतरण से 21 माह के कार्यान्वयन टाइमफ्रेम के साथ कार्यान्वित की जाएगी।

- आवेदक का चयन, अधिनियम की धारा 63 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार आरईसी पावर डेवलपमेंट एण्ड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) द्वारा की गई प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर रु. 696.81 मिलियन के निम्नतम स्तरीकृत पारिषण प्रभार सहित पारिषण सेवा प्रदायक के रूप में किया गया है।
- सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 27.4.2023 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारिषण प्रणाली की स्थापना हेतु आवेदक को पारिषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए संस्तुत किया है।
- रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 126/टीएल/2023 में दिनांक 6.7.2023 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोलिखित पारिषण प्रणाली की स्थापना हेतु आवेदक को पारिषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने को प्रस्तावित किया है।
- केपीएस2 ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारिषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.powergrid.in/subsidiarie पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।
- नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारिषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हों, को उक्त पते पर दिनांक 24.7.2023 तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- आयोग द्वारा दिनांक 26.7.2023 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/-
(हरप्रीत सिंह पुथी)
सचिव